

(अभ्यर्थी के द्वारा समाचार पत्रों, दूरदर्शन में प्रकाशित करने हेतु)

आपराधिक प्रकरणों के सम्बंध में घोषणा

(2011 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और ऑर्स बनाम भारत संघ एवं एएनआर) अभ्यर्थी का नाम और पता: दिनेश पुत्र श्री अमर सिंह निवासी एम.आई.जी 753 पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी

मुरैना मध्यप्रदेश

राजनीतिक दल का नाम: इण्डियन नेशनल कांग्रेस

(स्वतंत्र अभ्यर्थी यहां) "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023

* निर्वाचन क्षेत्र का नाम: 06 मुरैना मध्यप्रदेश

में दिनेश (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी, सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ ।

A) लंबित आपराधिक प्रकरण				
क्र. सं	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या एवं तारीख	प्रकरण की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(ओं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	प्र.क्र. 100/17 ई.फो.	लंबित	341,147 आई.पी.सी
2	विवेचना जारी	अपराध क्र 702/23 थाना सिटी कोतवाली मुरैना म.प्र	विचाराधीन	341,147,285 आई.पी.सी
3	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर म.प्र.	प्र.क्र. 1490/21	लंबित	171 जी , 505 (2), 186 आई. पी.सी
4	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (स्पेशल कोर्ट एम.पी. एम.एल.ए)म.प्र.	प्र.क्र. 15/22	लंबित	147,148,186,188,353,332,143 आई.पी.सी
5	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (स्पेशल कोर्ट एम.पी. एम.एल.ए) म.प्र. म.प्र.	प्र.क्र. 14/22	लंबित	147,148,186,188,353,332,143 आई.पी.सी

6	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	प्र.क. 17293 / 21	लंबित	341,147,188 आईपीएस
B) दंडनीय अपराधों के लिए सजा के प्रकरणों का विवरण				
क्र. सं	न्यायालय का नाम और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियाँ)	कार्यालय (यों) और लगायी गयी सजा का विवरण	लगाया गया अधिकतम दंड	
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

*राज्य परिषद के निर्वाचन या विधायकों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन की स्थिति में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टीप :

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
2. समाचार पत्रों में यह मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाए।
3. प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग विवरण दिए जाने चाहिए।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष पार्टी के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. ऐसे प्रकाशन के तुरंत बाद अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी को आपराधिक प्रकरणों सम्बन्धी घोषणा के प्रकाशन के सम्बंध में सूचित करेगा। इसके अलावा, वह निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के खाते के साथ प्रारूप सी-4 में मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (क) लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की स्थिति में, यह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनावों की स्थिति में, यह संबंधित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसे समाचार पत्रों और दूरदर्शन में उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख के अगले दिन से लेकर मतदान की तारीख से दो दिन तक प्रकाशित किया जा सकता है।

(राजनीतिक दल द्वारा वेबसाइट, समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने हेतु)

पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(2011 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और ऑर्स बनाम भारत संघ एवं एएनआर)

नाम और राजनीतिक दल: इण्डियन नेशनल कांग्रेस

*निर्वाचन का नाम: म.प्र. विधानसभा चुनाव 2023

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम: मध्यप्रदेश

1	2	3	4		5		
क्र.सं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(A) लंबित आपराधिक प्रकरण	(B) दंडनीय अपराध का दोषसिद्ध प्रकरणों के सम्बंध में विवरण			
			न्यायालय का नाम, प्रकरण संख्या एवं प्रकरण(नों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों के अनुभाग और अपराध(ओं) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम और आदेशों की तिथि(याँ)	अपराधों (ओं)का विवरण और लगाया गया दंड	अधिकतम लगाया गया दंड
1.	06 मुरैना	दिनेश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुरैना प्र.क्र. 100/17 ई. फो.	341,147 आई. पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.			विवेचना जारी अपराध क्र 702/23 थाना सिटी कोतवाली मुरैना म.प्र	341,147,285 आई.पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.			न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर प्र.क्र. 1490/21	171 जी , 505 (2) , 186 आई. पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (स्पेशल कोर्ट एम.पी.एम.एल.ए) म.प्र.प्र.क्र. 15/22	147,148,186,18 8,353,332,143 आई.पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.		न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (स्पेशल कोर्ट एम.पी.एम.एल.ए) म.प्र. प्र.क्र. 14/22	147,148,186,18 8,353,332,143 आई.पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.		न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल प्र.क. 17293/21	341,147,188 आई.पी.सी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* राज्य परिषद के निर्वाचन या विधायकों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन की स्थिति में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टीपः

1. अभ्यर्थी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के सम्बंध में विवरण बोल्ड अक्षरों में होगा।
2. सामाचार पत्रों में यह मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
3. उपरोक्त जानकारी प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष पार्टी के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों से संबंधित जानकारी डालने के लिए बाध्य होगा।
6. राजनीतिक दल आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रारूप C5 में संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।